

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940
No. 268]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

का.आ. 377(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पिवत्र और अक्षत सात पहाड़ियां हैं जहां विश्व प्रसिद्ध हिंदू देवता भगवान वेंकटेश्वर वास करते हैं। अभयारण्य के संरक्षित वन जो पूर्वी घाटों के भाग हैं ये अद्वितीय जीवजन्तु और वनस्पितयां हैं। अत्यिधिक संकटापन्न वनस्पित जैसे साइकस बेडडोमी और अत्यिधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजातियां जैसे पेटरोकार्पस सैंटिलनस प्रचुर मात्रा में बढ़ती रहती हैं। संपूर्ण अभयारण्य शुष्क पतझड़ी लाल चंदन का एक निर्जन बड़ा वन खंड है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और कुड़ापाह जिलों में स्वर्णमुखी और पन्ना निदयों का आवाह-क्षेत्र है;

और, क्षेत्र में अनुसूची I, II, III और IV वाले वन्यजीव पाए जाते हैं। रिजर्व के वनों में कुछ अत्यधिक लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियां हैं, जैसे सलेण्डर लोरीस, भारतीय विशालकाय गिलहरी, माउस हिरण, गोल्डन गेको इत्यादि। इस क्षेत्र में चीता, तेंदुआ, हाथी, रीछ, भारतीय भेड़िया, बनैला सूअर, चिंकारा, चौसींगा मृग, चितल और सांभर, इबेक्स, सूअर, बोनेट

419 GI/2019 (1)

मंकी, नेवला, वाइल्ड डॉग ब्लैक बक, बिसन, सियार, लोमड़ी, सिवेट बिल्ली, जंगल बिल्ली, छिपकली अन्य कुछ पशु आमतौर पर घूमते मिलते हैं। इस क्षेत्र से पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां सूचित की गई है। साल, पायथन, मटरमुर्गा, जंगली मुर्गा, तीतर, क्वाइल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, अशी क्राउंड फिंच लार्क, इंडियन रोलर, किंगफिशर और व्हाइट बिल्ड वुडिपकर आदि सामान्य हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सेशाचलम वनों में पिक्षयों की 137 प्रजातियां पाई जाती हैं। येलो थ्रोटेड बुलबुल, एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति उद्यान के वनों में विद्यमान हैं;

और, कल्याणी और पाप विनासनम बांध, तिरुपित और तिरुमाला नगरी के प्रमुख पेयजल संसाधन श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य के अंतर्गत स्थित हैं और थोड़ी अविध के दौरान जंगली पशुओं का स्नोत पेयजल भी हैं। इनके अलावा, रालावुगु, लोथुवांका, मल्लरू, थंबुरु थेरथम वंका, तालाकोना वंका और गुंजाना जो इस अभयारण्य से होते हुए स्वर्णमुखी और पन्ना की सहायक निदयां हैं यहां आरंभ होकर निकलती हैं। उच्च पहाड़ी और गहरी घाटियां और प्राकृतिक झरनों के साथ मुख्य क्षेत्र में विविध वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के साथ घने वन होते हैं। क्षेत्र में प्राकृतिक घासभूमि भी शामिल हैं। सभी उपरोक्त कारक किसी भी अभयारण्य में स्वस्थ पर्यावास की पूर्व-अपेक्षाएं हैं;

और, क्षेत्र के दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पितयों और जीवजन्तुओं की रक्षा और सुधार करने के लिए, श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य को जी.ओ.एमएस.सं.354 एफ एवं आरडी (III के लिए) विभाग, दिनांक 2 सितंबर, 1985 के माध्यम से घोषित किया गया था और अभयारण्य का कोर क्षेत्र 1989 के दौरान राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जी.ओ.एमएस.सं. 383 ई.एफ.एस एवं टी (III के लिए) विभाग, दिनांक 16 अक्टूबर, 1989 को घोषित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना जी.ओ.एमएस.सं.58 ई.एफ.एस एवं टी (III के लिए) विभाग, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अधीन दिनांक 13 मई, 1998 को जारी की गई थी और अंततः क्षेत्र को श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जी.ओ.एमएस.सं.59 पर्यावरण वानिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी (III के लिए) दिनांक 13 मई, 1998 को घोषित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 2 जिलों अर्थात्, चित्तूर और कुड्डापाह जिले में 525.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 353.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है:

और, राष्ट्रीय वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की घोषणा के लिए निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में लाइन विभागों के परामर्श से संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, अभयारण्य के अंतर्गत अपने प्राकृतिक पर्यावरण में वन्यजीव की सुरक्षा और जनजातीय और अन्य और अन्य विकास क्रियाकलापों के आजीविका के अवसर जी.ओ.एमएस.11747/11 के लिए(2)/2006, ईएफएस एवं टी (III के लिए) विभाग, दिनांक 13 मार्च, 2012 को जारी किया गया है। अतः, 28 जुलाई, 2012 और 2 नवंबर, 2012 को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट चित्तूर ने लाइन विभाग अधिकारियों और संभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन संभाग, तिरुपित के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की घोषणा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी:

और, उत्कृष्ट वन और लुप्तप्राय वनस्पित प्रजातियों जैसे लाल चन्दन और लुप्तप्राय जीवजन्तु प्रजातियों जैसे सलेण्डर लोरीस, भारतीय विशालकाय गिलहरी, माउस डियर, गोल्डन गेको, बाघ, तेंदुआ, हाथी इत्यादि संरक्षित क्षेत्र के आसपास के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव किया गया है;

और, अभयारण्य में विभिन्न दुर्लभ और स्थानिक वनस्पित प्रजातियां हैं, जैसे कर्कुमा डोमेस्टिका, डेलबर्गिया लैटिफोलिया, कोक्लोस्पर्मम रेलीजियासम, डिलिनिया इंडिका, हाइबंथस एनीस्पर्मम, माबा बिक्सफोलिया आदि हैं। संकटापन्न पौधें प्रजातियों के उदाहरण में होमालियम ज़ेलानीकम, बूटिया मोनोर्स्पमा, रहयंचोसिया हयेनाई और टेफ्रोसिया प्रजातियां शामिल हैं। अभयारण्य में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें पेट्रोकार्पस सैंटलिनस, सैंटलम एल्बम, बॉसवेलिया ओविलफोलिया, पिंपिनेल्ला ट्राइरुपैटेन्सिस, सिजीजियम अल्ट्नीफोलियम और टर्मिनलिया पैलीड आदि शामिल हैं:

और, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैवविविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)(इस अधिसूचना में बाद में पर्यावरण अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (दक्षिणी तरफ विकसित तिरुपति बस्ती के कारण) से 10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 992.45 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध ॥ क-ख** में है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध ॥ क** में है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-Ⅳ** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण:
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास:
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण:
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) राजमार्ग; और
 - (xiii) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचिलक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हिरत क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) **भू-उपयोग.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

- (ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।
- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः
 - परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण.** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।
- (7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात.** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) **वाहन जिंत प्रदूषण.-** वाहन जिंत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:
 - (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

- (18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमित नहीं होगीः जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्नावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	1	ब.विनियमित क्रियाकलाप
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगीः परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन

श्रियाकवाषा करने या विद्यामत क्रियाकवाषा का विनार पर्यटन महायोजना और लागू विशानियों के अनुमार अनुवात होगी (क) अंदिशत के अने भी मीम से एक क्षिणोमीटर के भीतर या पारिश्वितिकी संबेरी जोन के विस्तार तक जो भी निषट हो, किसी भी प्रकार का वाणिजिक संनिर्माण अनुवात नहीं किया जाएगा: परंतु खानीय लोगों को पर 3 के उप पर (1) में गुर्चीबद्ध क्षित्राकवाणों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्त्रों की आवसीय आवस्त्रमाताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति जबन उपविधियों के अनुमार दी जाएगी। परंतु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रवृत्तण उत्पत्त नहीं किरते हैं, से सर्वधिव संनिर्माण कियाकवाण संनित्रमित कियाकवाण विनित्रमित कियाकवाण विनित्रमित क्षित्र जाएन नहीं करते हैं, से सर्वधिव संनिर्माण कियाकवाण विनित्रमित क्षित्र जाएन विभिन्न में हैं। इत्याद वाल क्षेत्र के अनुमार विभिन्न में होंगे। करवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रवृत्तण तथा आगिसकदम्य लघु और यो उद्योगों ने स्वाद्य प्रवृत्त को करवार के स्वाद्य प्रवृत्त को करवार के स्वाद्य प्रवृत्त को करवार के स्वाद्य वाल के हिंदी वाल उद्योग, जो पारिस्थितिकी संबेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्याद बनाते हैं, सक्ष्म प्रविक्ति संबेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्याद बनाते हैं, सक्ष्म प्रविक्ति संबेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्याद बनाते हैं, सक्ष्म प्रविक्ति संबेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्याद बनाते हैं, सक्ष्म प्रविक्ति संबेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्याद बनाते हैं, सक्ष्म प्रविक्ति स्वाद प्रवृत्त के स्वाद प्रवृत्त के स्वाद प्रवृत्त के स्वाद के स्वाद प्रवृत्त के स्वाद के स्वाद प्रवृत्त के स्वाद के स्	_		
सबंदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिश्यक सीनार्गण अनुवान नहीं किया जाएगा: परंदु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध कियाकलाणों सिह उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की अवस्थित अवश्यकताओं को पूरा करने लिए सीनार्गण करने की अनुमति अवन उपविधियों के अनुमार वी जाएगी परन्तु ऐसे लबु उद्योगों जो प्रदाण उरण्य नहीं करने हैं, से सर्वधित सीनार्गण कियाकलाण विनियमित किए जाएंगे और लागू निवसों और विनियमों, यदि गोई हों, के अनुमार नाजम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। 10. मैर प्रदूषणकारी लच्च उद्योग। विश्व के अनुमार निवसों की प्रवास अपिसंकटमय लच्च और सेवा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संबंदी जोग से देशी सामग्रियों से उरणाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकार बहु का के अधिनियम वा उद्योग, कृषि, पुण्य कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संबंदी जोग से देशी सामग्रियों से उरणाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकार बहु का का स्थाप स्थापन स्थापन संपरा क्षम अधित का स्थापन संपर्दा (ख) प्रथा की कार्य के अधिन समार पर वाणिशियर पशुका संपरा कार्य कि अधीन विनियमित होगा। 12. बन उत्यादों और पैर काष्ट बन उत्पादों (एनटीएफफी) का संग्रहण। 13. फमों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बहु किया सामग्रिक के अधीन विनियमित होगा। 14. विश्व और संवर टॉबर लगाने, तार-बिद्धाने के अधीन विनियमित होगा। 15. मारिक सूचिशों सहित बुनियारी होगा। 16. विश्व मान गड़कों को बीहा करना, उन्हें सुद्ध बनाना और विनियमन और उपलब्ध दिशानिक्या के साम किए जाएंगे। 17. पर्यटम से संबंधित जन्य क्रियाबलाग जामू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वेत कि पारिस्थितिकी संबंदी जोन के के उपर से गर्म बायु के मुखारे, हलीकाएटर, होन, माइकोलाइट्स उपलब्ध दिशानिक्या के साथ किए जाएंगे। 18. पहाड़ी डालों और नदी तटों का लामू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वेत कि पारिस्थितिकी संबंदी जोन के के उपर से गर्म किए जाएंगे। तम्म संबधित अन्य के मुखारे, हलीकाएटर, होन, माइकोलाइट्स उद्यान आदि। वास विधियों के अधीन विनियमित होगा। वास विधियों के अधीन विनियमित होगा। वास विधियों के अधीन विनियमित होगा।			*
कियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अतुनार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे । गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। पर्न्यरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्ताकरण के अनुसार गर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जीन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुवात होंगे । 11. वृक्षों की कटाई । (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के विना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की किटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई वेदीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए एनियमों के उपवंशों के अनुसार विनियमित होगी । 12. वन उत्पादों और गैर काष्ट बन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण । 13. फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बंहे पैमाने पर वाणिश्विक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना । 14. विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विद्योग के अधीन विनियमित होगा । 15. नागरिक सुविधाओं सिहत बुनियादी डांचे की स्थापना । 16. विद्यमान सहकों को चौड़ा करना, उन्हें सुद्द बनाना और नई सड़कों का निर्माण । 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जोमें कि पारिस्वितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से गर्म बायु के गुढ्यारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उद्यान आदि। 18. पहाड़ी द्वानों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । संरक्षण।	9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन
शैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।			क्रियांकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, वागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। 11. वृश्रों की कटाई । (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृश्रों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृश्रों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंधों के अनुसार विनियमित होगी । 12. वन उत्पादों और गैर काष्ट वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण । 13. फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 14. विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विद्याने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था । 15. नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी हांचे की व्यवस्था । 16. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुद्ध बनाना और नई सड़कों का निर्माण । 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे के अप्रीन विनियमित होगा । 18. पहाडी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 18. पहाडी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । 18. पहाडी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।			. , ,
सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। 12. वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण। 13. फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े गैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 14. विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विद्युत और संवार टॉवर लगाने, तार-विद्युत और सहित वुनियादी ढांचे की व्यवस्था। 15. नागरिक सुविधाओं सहित वुनियादी ढांचे की व्यवस्था। 16. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। सरक्षण।	10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम
12. वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	11.	वृक्षों की कटाई ।	सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन
(एनटीएफपी) का संग्रहण। 13. फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 14. विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार- बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। 15. नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। 16. विद्युमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुट्खारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का सागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।			बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 14. विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार- विद्याने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। लागू विधियों के अधीन भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा देना विनियमित होगा। 15. नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की ढांचा। लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे। 16. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदूढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप क्षेत्र के उपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	12.		लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। 15.	13.	पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे। 16. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	14.	बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की	
सुदृढ बनाना और नई सड़कों का उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। संरक्षण।	15.		**
जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। संरक्षण।	16.	सुदृढ बनाना और नई सड़कों का	**
संरक्षण।	17.	जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19. रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।	18.	~	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।

20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बिहिर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहिर्स्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोगः	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति.-** प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं. मानीटरी समिति का गठन

पद

(i) संबंधित जिला कलेक्टर

अध्यक्ष;

- (ii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर- सदस्य; सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि
- (iii) विभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, तिरुपति

सदस्य;

(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंधन मंडल, तिरुपति	सदस्य-
		सचिव।

6. विचारार्थ विषय.—(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।


[फा. सं. 25/37/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध- ।</u>

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	स्टेशन सं. 21 से यह स्टेशन सं. 29 (उ13.81886, पू79.42635) के अभयारण्य सीमा से 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर 4 किलोमीटर की लम्बाई से पूर्व की ओर जाती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा वाई.एस.आर. कडपा जिले के कुक्कालादोद्दी ग्राम में स्टेशन सं. 39 की 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की चौड़ाई में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ स्टेशन सं. 29 से स्टेशन सं. 30, 31 आदि को आच्छादित करके दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा चित्तूर जिला में आकर 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ स्टेशन सं. 57 दिक्षणी दिशा की ओर जाती है।
दक्षिण	सीमा रेखा पश्चिमी दिशा में अभयारण्य सीमा से क्रमशः 1.00 किलोमीटर और 1.55 किलोमीटर की दूरी में स्टेशन सं. 58 और स्टेशन सं. 59 की ओर जाती है। स्टेशन सं. 60 से 77 (उ 13.62286, पू 79.38238) से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा रेखा के साथ जाती है। इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 78 से 86 से 0.55 किलोमीटर से 0.85 किलोमीटर की दूरी में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है जो कि आर.एफ सीमा के साथ है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा स्टेशन सं. 87 (उ 13.63300, पू 79.33310) से स्टेशन सं. 94 (उ 13.64080, पू 79.28460) तक जाती है, स्टेशन सं. 94 के श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.50 किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर की दूरी के साथ दक्षिण की ओर सामानान्तर जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा 95 (उ 13.64388, पू 9.27718) से स्टेशन सं. 108 (उ 13.60531, पू 79.18249) से आर.एफ. सीमा के साथ जाती है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन सं. 1 (उ 13.59667, पू 79.16110) मरलाबोदु स्थान से वाई.एस.आर कडपा जिला सीमा के स्टेशन सं. 17 के 2 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में स्टेशन सं. 21 (उ 13.89330, पू 79.31049) से उत्तर की ओर जाती है।

<u>उपाबंध- ॥क</u> प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




<u>उपाबंध- ॥ख</u>

श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल ग्रामों की सूची को दर्शाने वाला मानचित्र

Map showing the List of Villages included in the proposed Eco-sensitive zone of $\ _{\rm w}$ S.V. Wildlife Sanctuary & S.V. National Park, Tirupati





उपाबंध-III

सारणी क: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

1 2 3 4	13.59667 13.60767	79.16110		4.0	00000	
3	13.60767		55	13.	68680	79.49110
		79.13955	56	13.	67020	79.50400
4	13.64114	79.18081	57	13.	66459	79.47887
	13.66635	79.18218	58	13.	65229	79.46386
5	13.66726	79.19685	59	13.	64557	79.44048
6	13.67460	79.18952	60	13.	65632	79.44089
7	13.68789	79.19227	61	13.	65565	79.42865
8	13.74748	79.20006	62		65169	79.42905
9	13.75619	79.17897	63	13.	65272	79.42202
10	13.76490	79.16751	64		64909	79.41542
11	13.77911	79.15605	65		64509	79.40600
12	13.79286	79.14643	66		65483	79.40002
13	13.81211	79.13818	67		65355	79.41125
14	13.82586	79.13130	68		65846	79.40881
15	13.85290	79.13359	69		65978	79.39734
	13.86620	79.14872	70		65186	79.40002
17	13.85788	79.18774	71		65132	79.39569
18	13.88129	79.21145	72		65557	79.38871
19	13.89660	79.23006	73		64814	79.38553
20	13.91671	79.25287	74		64934	79.37661
21	13.93051	79.26817	75		63488	79.37772
22		79.30200	76			
	13.93620				62888	79.38013
23	13.94380	79.30200	77 78		62286	79.38238
24	13.94900	79.30350	_		61978	79.36994
25	13.95080	79.30730	79		62227	79.36302
26	13.94750	79.31270	80		61987	79.35912
27	13.94230	79.31870	81		62153	79.35321
	13.93420	79.32110	82		61913	79.35185
	13.92910	79.31650	83		61881	79.34582
30	13.93712	79.30779	84		61717	79.34531
	13.91881	79.32760	85		61722	79.33411
32	13.90380	79.32700	86		62024	79.32909
33	13.89330	79.31049	87		63300	79.33310
34	13.89180	79.31830	88		64020	79.33210
35	13.87649	79.32460	89		64530	79.33270
36	13.84528	79.38763	90		63700	79.31030
37	13.83297	79.40144	91		63580	79.29930
38	13.81886	79.42635	92		64150	79.21400
39	13.80236	79.43805	93		64420	79.28840
40	13.79700	79.47280	94		64080	79.28460
41	13.78680	79.48730	95		64388	79.27718
42	13.77150	79.51210	96		63848	79.27298
43	13.74262	79.53358	97		63203	79.27574
44	13.71820	79.55490	98		62934	79.276480
45	13.68670	79.55940	99		62335	79.26398
46	13.68470	79.55790	100		62297	79.25281
47	13.69000	79.55430	101		62227	79.23486
48	13.68690	79.54520	102		61887	79.23212
49	13.69510	79.52520	103		61927	79.21982
50	13.70540	79.50760	104		61978	79.21663
51	13.70070	79.50300	105		61756	79.21806
52	13.69890	79.49350	106		61056	79.21675
53	13.70260	79.48820	107		60450	79.20036
54	13.69340	79.47430	108	13.	60531	79.18249

_	^	`	~ ~	• •	•
यागारिज-	वन्यजीव अभय	च्यांग के प्रमत	ख्याची के	यध्याश-ट	911न र
तार्था ख.	जन्मजान जनन	17.44 47 77 79 79	יר וויורא	जधारा-५	71117
		•			

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	13 °47.934′ ਤ	79°10.631′ पू
2	13 °50.365′ ਤ	79°12.588′ पू
3	13 °53.247′ उ	79°14.758′ पू
4	13 °55.058′ ਤ	79°18.462′ पू
5	13 °51.345′ ਤ	79°21.731′ पू
6	13 °47.086′ ਤ	79°25.352′ पू
7	13 °44.190′ उ	79°27.809′ पू
8	13 °39.632′ उ	79°27.554′ पू
9	13 °38.928′ ਤ	79°22.570′ पू
10	13 °37.407′ उ	79°17.671′ पू
11	13 °36.725′ ਤ	79°12.938′ पू
12	13 °37.366′ ਤ	79°10.779′ पू
13	13 °41.050′ ਤ	79°13.979′ पू
14	13 °45.045′ ਤ	79°13.241′ पू

<u>उपाबंध-IV</u> भू-निर्देशांकों के साथ श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	मंडल का नाम	जिला का	यक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
			नाम			
1	ममांदुर	रेनीगुंता	चित्तूर	13.7468	79.4636	राजस्व ग्राम
2	कुक्कालाडोड्डी	रेनीगुंता	चित्तूर	13.7816	79.4233	राजस्व ग्राम
3	तिरुमाला	तिरुपति (यू)	चित्तूर	13.6781	79.3553	टीटीडी
4	तालाकोना	येर्रावरिपालेम	चित्तूर	13.8134	79.1943	विन्यास क्षेत्र

<u>उपाबंध-V</u>

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2019

S.O. 377(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary includes the holy and Sacred Seven hills where the world famous Hindu deity Lord Venkateshwara abodes. The Reserved Forest of the Sanctuary forming part of Eastern Ghats consists unique fauna and flora. The highly endangered flora like Cycas beddomie and highly priced endemic species like Pterocarpus santalinus grows luxuriantly. The entire Sanctuary is a un-inhabited large Chunk of dry deciduous Red Sanders bearing forests forming catchment to Swarnamukhi and Penna rivers both in Chittoor and Cuddapah Districts;

AND WHEREAS, the wildlife belonging to schedule I, II, III & IV occur in the area. The forests of the reserve harbour certain highly endangered wildlife species, like Slender Loris, Indian Giant squirrel, Mouse deer, Golden Gecko, etc. Tigers, leopard, Elephants, sloth bear, Indian wolf, wild boar, chinkara, Fourhorned antelope, chital and sambar, Ibex, Pig, Bonnet Monkey, Mongoose, Wild Dogs Black Buck, Bison, Jackal, Fox, Civet Cat, Jungle Cat, Lizards are some of other animals commonly found roaming in this area. More than 150 species of birds are reported from this area. Pangolins, Pythons, Pea fowls, Jungle Fowl, Partridges, Quail, Crested Serpent Eagle, Ashy Crowned Finch Lark, Indian Roller, Kingfishers, and White Bellied Woodpecker, etc., are common. It is estimated that 137 species of birds are found in Seshachalam Forests. Yellow throated Bulbul, an endangered bird species, is found to exist in Forests of the park;

AND WHEREAS, the Kalyani and Papavinasanam dams, the prime drinking water resources of Tirupati and Tirumala townships are situated within Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary and are also source of drinking water to wild animals during pinch period. Besides these, Rallavagu, Lothuvanka, Malleru, Thumburu theertham vanka, Talakona vanka and Gunjana which are the tributaries of Swarnamukhi and Penna are also originates and drains through this Sanctuary. The core area with high hillocks and deep valleys and with natural springs consists thick forests, with vivid flora and fauna. The area also consists natural grass lands. All the above factors are pre-requisites of a healthy habitat in any Sanctuary;

AND WHEREAS, to protect and improve the rare, endemic and endangered flora and fauna of the area, Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary was declared *vide* G.O.Ms.No.354 F&RD (For-III) Department, dated the 2nd September, 1985 and the core area of the sanctuary was declared as a National Park during 1989 *vide* G. O. Ms. No. 383 E.F.S & T (For-III) Department, dated the 16th October, 1989. Final notification of Sri Venkateshwara National Park was issued *vide* G. O. Ms. No. 58 E.F.S & T (For-III) Department, dated the 13th May, 1998 under section 35 of Wildlife (Protection) Act, 1972 and the area was finally declared as a Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary *vide* G. O. Ms. No. 59 Environment Forestry Science & Technology (For-III) dated the 13th May, 1998. Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary comprises of 525.97 square kilometers area and is spread in 2 districts i.e., Chittoor District and Cuddapah District. Sri Venkateshwara National Park comprises of an area of 353.63 square kilometer and is located within Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the National Board for Wildlife has taken decision for declaration of Ecosensitive Zones around National parks and Wildlife Sanctuaries. The Government of Andhra Pradesh have issued instructions to identify Eco-sensitive zones around the protected areas in consultation with the line departments under the Chairmanship of concerned District Collectors keeping in view the safety, security of

the wildlife in its natural environment within the Sanctuary and the livelihood opportunities of the tribal and others and other developmental activities *vide* G.O.Ms.11747/For-11(2)/2006, EFS&T (For.III) Department, dated the 13th March, 2012. Accordingly, a meeting was convened by the Collector & District Magistrate Chittoor on 28th July, 2012 and 2nd November, 2012 with the line department officials and Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Tirupati for declaration of Eco-sensitive Zone all around the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, to protect the precious forests and endangered floral species like Red Sanders and faunal species like Slender Loris, Indian Giant Squirrel, Mouse Deer, Golden Gecko, Tigers, Leopard, Elephants etc., around the protected area, it is proposed to notify the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary as Eco sensitive zone under the Environment (Protection) Act, 1986;

AND WHEREAS, the sanctuary has various rare and endemic flora species, such as Curcuma domestica, Dalbergia latifolia, Cochlospermum religiosum, Dillenia Indica, Hybanthus anneaspermus, Maba buxifolia etc. Examples of endangered plant species include Homalium zeylanicum, Butea monosperma, Rhynchosia heynei and Tephrosia Species. The Endemic species found in the sanctuary include Pterocarpus santalinus, Santalum album, Boswellia ovalifolia, Pimpinella trirupatiensis, Syzygium alternifolium and Terminalia pallid etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereinafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero kilometer (due to developed Tirupathi township at southern side) to 10 kilometers around the boundary of Sri Venkateshwara Wildlife sanctuary in the State of Andhra Pradesh as the Sri Venkateshwara Wildlife sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer to 10 kilometers around the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-sensitive Zone is 992.45 square kilometers.
- (2) The boundary description of the Eco sensitive Zone is appended at **Annexure-I.**
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at Annexure-II A and Annexure-II B
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-III A** respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;

- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways; and
- (xiii) Andhra Pradesh State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3.Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use. (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), above within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;
- (2) Natural water bodies. The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism. -

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
 - Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on ecotourism;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage. All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites. Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents. Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8th

- April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste. Bio medical waste management shall be as under:-
 - (a) The bio medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management. The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management. The Construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution. Prevention and control of Vehicular Pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel.
- (16) Industrial units. (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
- (18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Description			
	A. Prohibited Activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.			
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.			
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.			
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.			
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.			
6.	Setting of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.			
	В	. Regulated Activities			
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.			
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake			

		construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Ecosensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	 a. There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.		
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.		
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.		
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.		
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.		
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.		
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.		
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.		
	C	. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. to be actively promoted.		
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.		
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.		
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.		
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.		
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.		

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Concerned District Collector	Chairman;
(ii)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(iii)	Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Tirupati	Member;
(iv)	Regional Officer, Andhra Pradesh State Pollution Control Board, Hyderabad	Member;
(v)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	A representative from State Public Works Department	Member;
(viii)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(ix)	Conservator of Forests, Wildlife Management Circle, Tirupati	Member- Secretary.

- **6. Terms of Reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	From Station No.21 it runs towards east over a length of 4 kilometers at a distance of 2 kilometers to 3 kilometers from sanctuary boundary up to the station No.29 (N13.81886, E79.42635).
East	Then the boundary runs towards South from Station No.29 covering station no.30, 31 etc., all along the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary at a width of 2 kilometers to 3 kilometers. up to station No.39 at Kukkaladoddi village of Y.S.R. Kadapa District. Then the boundary line enters in Chittoor District towards southern direction up to station No.57 all along the Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary at a width of 2 kilometers to 10 kilometers.
South	The boundary line towards station No.58 and Station No.59 at a distance of 1.00 kilometers and 1.55 kilometers respectively from Sanctuary boundary in western direction. From Station No.60 to 77 (N 13.62286, E 79.38238) the boundary line of Eco-sensitive zone runs all along Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary boundary line. Then the boundary line from Station No.78 to 86 runs towards western direction at a distance 0.55 Kilometers to 0.85

	Kilometers which is along R.F. Boundary. Further the Eco-sensitive Zone boundary line				
	runs from Station No.87 (N 13.63300, E 79.33310) to Station No. 94(N 13.64080, E				
	79.28460) runs almost parallel towards South with a distance of 0.50 Kilometers to 1.00				
	Kilometers from Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary boundary up to station No. 94. Then				
	the Eco-sensitive Zone boundary line runs from station 95 (N 13.64388, E 9.27718) to				
	station No. 108 (N. 13.60531, E 79.18249) runs along the R.F. Boundary.				
West	The Eco-sensitive zone boundary starting from Station No.1 (N 13.59667, E 79.16110) from Marlabodu locality runs towards northerly direction all along the Sri Venkateshwara				
	Wildlife Sanctuary at a width of 2 to 7 Kilometers up to station No.17 of Y.S.R. Kadapa				
	District Boundary. Then further runs towards north up to station No.21 (N 13.89330, E				
	79.31049) at a width of 2 Kilometers from Sri Venkateshwara Wildlife Sanctuary.				

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESHWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE-IIB

MAP SHOWING THE LIST OF VILLAGES INCLUDED IN THE PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESHWARA WILDLIFE SANCTUARY

Map showing the List of Villages included in the proposed Eco-sensitive zone of S.V. Wildlife Sanctuary & S.V. National Park, Tirupati





ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone

S.No.	Latitude	Longitude	S.No.	Latitude	Longitude
1	13.59667	79.16110	55	13.68680	79.49110
2	13.60767	79.13955	56	13.67020	79.50400
3	13.64114	79.18081	57	13.66459	79.47887
4	13.66635	79.18218	58	13.65229	79.46386
5	13.66726	79.19685	59	13.64557	79.44048
6	13.67460	79.18952	60	13.65632	79.44089
7	13.68789	79.19227	61	13.65565	79.42865
8	13.74748	79.20006	62	13.65169	79.42905
9	13.75619	79.17897	63	13.65272	79.42202
10	13.76490	79.16751	64	13.64909	79.41542
11	13.77911	79.15605	65	13.64509	79.40600
12	13.79286	79.14643	66	13.65483	79.40002
13	13.81211	79.13818	67	13.65355	79.41125
14	13.82586	79.13130	68	13.65846	79.40881
15	13.85290	79.13359	69	13.65978	79.39734
16	13.86620	79.14872	70	13.65186	79.40002
17	13.85788	79.18774	71	13.65132	79.39569
18	13.88129	79.21145	72	13.65557	79.38871
19	13.89660	79.23006	73	13.64814	79.38553
20	13.91671	79.25287	74	13.64934	79.37661
21	13.93051	79.26817	75	13.63488	79.37772
22	13.93620	79.30200	76	13.62888	79.38013
23	13.94380	79.30200	77	13.62286	79.38238
24	13.94900	79.30350	78	13.61978	79.36994
25	13.95080	79.30730	79	13.62227	79.36302
26	13.94750	79.31270	80	13.61987	79.35912
27	13.94230	79.31870	81	13.62153	79.35321
28	13.93420	79.32110	82	13.61913	79.35185
29	13.92910	79.31650	83	13.61881	79.34582
30	13.93712	79.30779	84	13.61717	79.34531
31	13.91881	79.32760	85	13.61722	79.33411
32	13.90380	79.32700	86	13.62024	79.32909
33	13.89330	79.31049	87	13.63300	79.33310
34	13.89180	79.31830	88	13.64020	79.33210
35	13.87649	79.32460	89	13.64530	79.33270
36	13.84528	79.38763	90	13.63700	79.31030
37	13.83297	79.40144	91	13.63580	79.29930
38	13.81886	79.42635	92	13.64150	79.21400
39	13.80236	79.43805	93	13.64420	79.28840
40	13.79700	79.47280	94	13.64080	79.28460
41	13.78680	79.48730	95	13.64388	79.27718
42	13.77150	79.51210	96	13.63848	79.27298
43	13.74262	79.53358	97	13.63203	79.27574
44	13.71820	79.55490	98	13.62934	79.276480
45	13.68670	79.55940	99	13.62335	79.26398
46	13.68470	79.55790	100	13.62297	79.25281
47	13.69000	79.55430	101	13.62227	79.23486
48	13.68690	79.54520	102	13.61887	79.23212
49	13.69510	79.52520	103	13.61927	79.21982
50	13.70540	79.50760	104	13.61978	79.21663
51	13.70070	79.50300	105	13.61756	79.21806
52	13.69890	79.49350	106	13.61056	79.21675
53	13.70260	79.48820	107	13.60450	79.20036
54	13.69340	79.47430	108	13.60531	79.18249

S.No.	Latitude	Longitude
1	13 °47.934′N	79°10.631′E
2	13 °50.365′N	79°12.588′E
3	13 °53.247′N	79°14.758′E
4	13 °55.058′N	79°18.462′E
5	13 °51.345′N	79°21.731′E
6	13 °47.086′N	79°25.352′E
7	13 °44.190′N	79°27.809′E
8	13 °39.632′N	79°27.554′E
9	13 °38.928′N	79°22.570′E
10	13 °37.407′N	79°17.671′E
11	13 °36.725′N	79°12.938′E
12	13 °37.366′N	79°10.779′E
13	13 °41.050′N	79°13.979′E
14	13 °45.045′N	79°13.241′E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SRI VENKATESHWARA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Name of the	Name of the	Name of			Remarks
	village	Mandal	the			
			District	Latitude	Longitude	
1	Mamandur	Renigunta	Chittoor	13.7468	79.4636	Revenue Village
2	Kukkaladoddi	Renigunta	Chittoor	13.7816	79.4233	Revenue Village
3	Tirumala	Tirupati (U)	Chittoor	13.6781	79.3553	TTD
4	Talakona	Yerravaripalem	Chittoor	13.8134	79.1943	Endowment area

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.